व

APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकामं
(नियम 26)

...न अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी		प्रतिवादी
सुखलाल	बनाम	शालि

...स्म मुकदमा–(वाद पत्र) 188, 209 RTA प्रकरण संख्या– 2022 / 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-3-2022	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री सुखलाल पिता मावजी जाति भील निवासी ग्राम मलवाना, पु. थ. ..., तहसील व जिला बांसवाड़ा द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 RTA विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री शालि पिता ... जाति भील निवासी पिपलोद, तहसील व जिला बांसवाड़ा के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 21-4-2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
...4 2022	पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रति. सं. 1 के नाम जारी सम्मन लेने से इन्कार का प्रपत्र। प्रति. सं. 2 के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त। सम्मनों को शामिल मिसल किया। पत्रावली बाबत जवाब दिनांक 21-4-2022 को पेश हो। [signature]	
...2022	पत्रावली पेश। वादी अधि. उप.। श्रीमान पी.ओ. साहब का स्थानान्तरण हो चुका है। पत्रावली ... बाबत जवाब दिनांक 27-5-2022 को पेश हो। [signature]	
...2022	पत्रावली पेश। वादी अधि. उप.। प्रति. सं. 1 द्वारा ... से इन्कार होने से इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पत्रावली बाबत कार्यवाही दिनांक 27-5-2022 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Cha... Regar
Date: 2023.02.22 13:42:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-11-2022	पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते पुन: बहस दिनांक 14-11-2022 को पेश हो।	
14-11-2022	पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते पुन: बहस दिनांक 30-11-2022 को पेश हो।	
30-11-2022	पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते आगामी तारीख पेशी पर पुन: बहस दिनांक 14-12-2022 को पेश हो।	
14-12-2022	पत्रावली पेश हुई वादी-प्रतिवादी वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते पुन: बहस आदेश दिनांक 11-1-2023 को पेश हो।	
11-1-2023	पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते पुन: बहस आदेश दिनांक 15-2-2023 को पेश हो।	
15-2-23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप० आये। पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता पुन: बहस नहीं करना चाहते है बहस बंद की जाकर पत्रावली आद्योपान्त अवलोकन का [illegible] पत्रावली के गुणावगुण पर विचार किया वादी ने वादपत्र की चरण सं. 2 में अंकित किया है कि प्रश्नगत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की तारीख में जारी हुवा
	उक्त ख.नं. 1575/1381 (रकबा .1618 हैक्टेयर) पर प्र० सं. 1 ने अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। पैरा सं. 4 में अतिक्रमण को हटवा कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का अभिकथन किया है। अनुतोष के पैरा में भी अवैध रूप से कब्जा कर लेने तथा प्र०सं. 1 के कब्जे से कब्जा हटवा कब्जा वादी को दिलाने का अंकन किया है तथा स्थायी निषेधाज्ञा चाही है। उक्तानुसार वाद वादी धारा 188 RTA में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। निर्णय लिखा जाकर हस्ताक्षर कर सुनाया गया। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash C
Regar
Date: 2023.02.22 13:42:28 I
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 2022/17 दायर दिनांक– 24.03.22

उनवान

1.सुखलाल पिता मावजी
जाति भील, आयु वयस्क, निवासी ग्राम मलवासा, पटवार हल्का बोरवट, तहसील व जिला बांसवाडा राजस्थान। **(वादी)**

बनाम

1.शान्ति पिता खातिया मईडा, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलोद, तहसील व जिला बांसवाडा
2.तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला बांसवाडा **(प्रतिवादीगण)**

उपस्थिति

राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता वादी

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए

–::निर्णय::– दिनांक:–15.02.23

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलवासा पटवार हल्का पाडीकला में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 559 नया 213 पुराना के खसरा नंबर 134 रकबा 0.1618 है0 के खसरा 1575/138, रकबा 0.1218है0 तथा खसरा नंबर 629 रकबा 0.0890 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1618 है0 वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है

1 माह पूर्व खसरा नंबर 1575/138/1 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ने जबरन प्रवेश कर अतिक्रमण कर लिया है। बाद समझाईश भी वह नहीं मान रहा है इस संबंध में वादी के काका श्री कानजी द्वारा जिला पुलिस अधिक्षक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादीगण के पास प्रश्नगत आराजियात के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन कब्जा कर लेने के कारण वादीगण को अपनी कृषि भूमि से महरूम होना पड रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाकर उसका कब्जा वादीगण को सुपुर्द नहीं किया गया तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नंबर 1575/138/1 पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अनाधिकृत जबरन किये अवैध कब्जे को उसके स्वयं के खर्चे से हटवाकर वादी को कब्जा दिलवाया जाए तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी की खातेदारी की प्रश्नगत आराजियात पर बाधा उत्पन्न न करे जबरन प्रवेश न करे तथा किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे तथा न ही किसी अन्य से करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी[illegible] प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया प्रतिवादी बाद तामिल अनुपस्थित रहने [illegible] विरुद्ध 1 पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली वास्ते [illegible] से साक्ष्यवादी के रूप में सुखलाल पिता श्री मा[illegible] द्वारा प्रस्तुत कि[illegible] साक्ष्य वादी में सुखलाल पिता श्री मावजी ने शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2074–77 तथा प्रदर्श–2 नक्शा जो कि प्रमाणित नहीं है। अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयानात् में स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर अंकित किये पत्रावली पर बहस एक पक्षीय अधिवक्ता वादी सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:28 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने किया की वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजियात हमारी खातेदारी की होकर काबिज काश्त है। अतः अनुतोष के अनुसार वाद स्वीकार कर डिक्री फरमावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया तथा वादी अधिवक्ता वादी की बहस पर गौर किया।

इस प्रकार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र **PW-1** सुखलाल पिता मावजी ने अपने शपथ–पत्र में सशपथ प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कब्जा कर लेना तथा उस कब्जे को हटवाकर कब्जा दिलवाने का अभिकथन किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा में स्पष्ट प्रावधान है कि एक खातेदार काश्तकार जिसका उसकी खातेदारी भूमि पर कब्जा होना चाहिए प्रश्नगत आराजी पर कब्जा किसी अन्य का होने से वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम में पोषणीय नहीं है। यदि वादी उनके द्वारा की गई अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुतोष कब्जा प्राप्त कर सकता है।

चूंकि धारा 188 में कब्जा हटवा कब्जा दिलवाने का प्रावधान नहीं है। अतः वाद वादी इस धारा में पोषणीय नहीं होने से वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो

पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय टंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

15/2/23

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास : प्रकाश चन्द्र रेगर(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 2022 / 17

उनवान

1.सुखलाल पिता मावजी
जाति भील, आयु वयस्क, निवासी ग्राम मलवासा, पटवार हल्का बोरवट, तहसील व जिला बांसवाडा राजस्थान।

(वादी)

बनाम

1.शान्ति पिता खातिया मईडा, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलोद, तहसील व जिला बांसवाडा

2.तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला बांसवाडा **(प्रतिवादीगण)**

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए

—:निर्णय:—

दिनांकः— 15.02.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। अतः वाद वादी इस धारा में पोषणीय नहीं होने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तदनुसार इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 15.02.23 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
[illegible] की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प तहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमि[illegible]	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	[illegible]	शून्य
[illegible] इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)